उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल
प्रकीर्ण फौजदारी आवेदन संख्या 502/2018
सहित
शमन आवेदन संख्या 511/2018

आकाश गुप्ता बनाम .....आवेदक।
उत्तराखंड राज्य व अन्य .....उत्तरदागण।

श्री धर्मेंद्र बर्थवाल, आवेदकगण के अधिवक्ता।
श्री दिनेश चौहान, उत्तराखंड राज्य / उत्तरदाता सख्या 01 के लिये ब्रीफ होल्डर
श्री शारिक खुर्शीद, उत्तरदाता संख्या 2 के अधिवक्ता

तारीखः 27 अक्टूबर, 2018
निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

1. यद्यपि विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार प्रतिपादित किया गया है कि जघन्य अपराधों, हस्तगत अपराध की प्रकृति के मामलों अर्थात धारा 376 और 506 भारतीय दण्ड संहिता को सम्मलित करते हुये, का शमन नही किया जाना चाहिये क्योंकि यह समाज के लिये नकारात्मक संदेश लेकर जाएगा। लेकिन, ऐसे उदाहरण हैं, जो न्यायिक नजीर द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि निश्चित रूप से कानून के उक्त पहलू और अनुपात को सभी मामलों में एक ही मापदंड के साथ लागू करने के लिए एक अजेय कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है। प्रत्येक मामले में प्रभाव और परिस्थितियों से उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार किया जाना चाहिए। यह उन मामलों में से एक होगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित शमन के सिद्धांत के अपवाद में आएंगा, जिन पर अग्रतर प्रस्तरों में विचार किया जाएगा।

2. हस्तगत मामले में वादी/उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पंजीकृत एक एफ0आई0आर0 जिसका एफ0आई0आर0 संख्या 0046 दिनांकित 27 जनवरी, 2018, अन्तर्गत धारा 376 और 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में होती है। जो 27 जनवरी 2018 को किया गया। जैसा कि वादी /उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा एफ0आई0आर0 में अभिकथित किया गया, अपराध के लिये अन्वेषण हुआ और आरोप पत्र संख्या 54/2018 दिनांकित 11 फरवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसको जिला एंव सेशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विशेष सेशन विचारण संख्या 2 / 2018 राज्य बनाम आकाश गुप्ता के रूप में दर्ज होती है तथा उक्त समन आदेश दिनांकित 21 फरवरी 2018 से समन जारी करने के पश्चात लंबित है। समन प्राप्त होने पर आवेदकों /अभियुक्त द्वारा निम्नलिखित अनुतोश पाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सी–482 प्रस्तुत की गई। –

> "अत्यन्त सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय आरोप पत्र दिनांकित 11.02.2018 (अनुलग्नक–2) तथा संज्ञान आदेश दिनांकित 21.02.2018 (अनुलग्नक–3 में अर्न्तविष्ट) को रद्य कर दें, अग्रतर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 व एस0टी0 अधिनियम देहरादून में धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2) (V) और 3(1) (S) में लंबित विशेष सेशन विचारण संख्या 2/ 2018, राज्य बनाम आकाश गुप्ता की सारी कार्यवाही को रद्य कर दिया

जाये। अग्रतर यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय जिला जज / विशेष न्यायाधीश एस0सी0 व एस0टी0 अधिनियम देहरादून में धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2) (V) और 3(1) (S) में लंबित विशेष सेशन विचारण संख्या 2/2018, राज्य बनाम आकाश गुप्ता की कार्यवाही को अग्रतर कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाये। अन्यथा आवेदक को अपूणीय क्षति तथा हानी होगी।"

3. इस न्यायालय द्वारा सी–482 आवेदन पर विचार किया गया था और इस न्यायालय ने 23 मार्च, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में शिकायतकर्ता/उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा दिये गये स्वयं के शपथ पत्र पर विचार किया गया जिसमे उसने कहा कि उसने आवेदक से विवाह कर लिया है और विवाह काली मंदिर, पोंटा मार्ग, डेखरानी में संपन्न किया है। शपथ पत्र में, यह भी स्वीकार किया कि वह आवेदक के साथ पत्नी के रूप में रही है तथा रह रही है व अब उसने विवाह को पंजीकृत कराने की इच्छा व्यक्त की है। दिनांक 23 मार्च, 2018 के आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया हैः–

"शपथ पत्र श्रीमती शीतल (प्रतिवादी संख्या. 2) द्वारा दाखिल किया गया है। शीतल, जिसमें उसने कथन किये है कि उसका विवाह आवेदक के साथ काली मंदिर, पोंटा मार्ग, धारकरी में हुआ है तथा वह आवेदक के साथ उसकी पत्नी के रूप में रही है तथा अब वह अब वह विवाह रजिस्ट्रार देहरादून के समक्ष अपना विवाह पंजीकृत करना चाहती थी। उसके द्वारा शपथ पत्र में यह भी कहा कि भौतिक आवेदक द्वारा उसके साथ उसकी सहमति से तथा बिना किसी हिंसा या आपराधिक बल के प्रयोग के शारीरिक संबंध बनाए रखे है।

उक्त पर विचार करते हुए, मैं निर्देश देता हूं कि मामले को नए मामलों के बाद 15.5.2018 को सूचीबद्ध किया जाए।

इस बीच, मैं जेल में रहने वाले आवेदक को अनुमति देता हूं, विचारण अदालत के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा से स्थगन के लिए एक आवेदन दायर करें, विचारण अदालत द्वारा दिनांक 15.5.2018 तक उक्त पर विचार किया जायेगा।

4. शपथपत्र पर विचार करते हुये, जो कि पक्षकारों द्वारा उनके अधिवक्तागण के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 25.05.2018 को दाखिल किया गया तथा वादी के शपथपत्र दिनांकित–21.03.2018 तथा 22.03.2018 जिसमें निम्नलिखित कथन किये गये है, जहां उनके द्वारा विवाह के तथ्य तथा अन्त में उसके पंजीकरण दिनांकित–18.05.2018 जिसे अनुलग्नक 1 के रूप में पूरक शपथ पत्र दिनांकित–25.05.2018 से अभिलेख से लाया गया है, को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना की गयी है कि कथित विशेष सेशन विचारण संख्या–2/2018 राज्य बनाम आकाश गुप्ता को रद कर दिया जाये। शपथपत्र दिनांकित–21.03.2018 तथा 22.03.2018 के सुसंगत प्रस्तर यहां उद्धृत किए गए हैंः–

"2. साथ में संलग्न प्रकीर्ण आवेदन में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह समीचीन होगा कि यह माननीय न्यायालय आरोप पत्र

दिनांकित–11.02.2018 (अनुलग्नक–2) तथा संज्ञान आदेश दिनांकित–21.02.2018 (अनुलग्नक में अर्न्तविष्ट–3) को रद् कर दें, अग्रतर सेशन जज/ विशेष न्यायाधीश एस0सी0 और एस0टी0 अधिनियम देहरादून में लंबित विशेष सेशन विचारण संख्या–2/2018 राज्य बनाम आकाश गुप्ता अन्तर्गत धारा–376,506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2) (V) और 3(1) (S) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संपूर्ण कार्यावाही को सौहार्द पूर्ण समझौते के आधार पर रद् कर दिया जाये ।

4. दोनों पक्षों अर्थात आवेदक तथा वादी/उत्तरदाता संख्या–2 के रिश्तेदारों की सहादता से, उनके मध्य समझौता हो गया है। तथा अब उत्तरदाता संख्या–2 आवेदक के विरूद्ध अभियोजन पर बल नहीं देना चाहती क्योंकि उसका विवाह काली मंदिर पौंटा मार्ग धारकरानी में हो गया है। तथा वह आवेदक के साथ पत्नी के रूप में कुछ समय के लिये रही है तथा अब वह विवाह रजिस्ट्रार देहरादून के समक्ष विवाह का पंजीकरण कराना चाहती है।

यह कि उक्त विवाह के पश्चात् आवेदक तथा शपथकर्ती के मध्य उसकी सहमति से बिना किसी हिंसा या आपराधिक बल के प्रयोग के शारिरीक संबंध बने है।

5. आज यह मामला लिया गया पक्षकार स्वयं जिनकी पहचान उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सम्यक रूप से की गयी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। वादी/ उत्तरदाता संख्या–2 द्वारा सी–482 आवेदन के साथ दाखिल अपने शपथपत्र दिनांकित–21.03.2018 तथा 22.03.2018 का समर्थन किया गया तथा उसके द्वारा कथन किये गये कि वह विधितः विवाहित है तथा उनका विवाह पंजीकृत है। और वह साथ में पति पत्नी के रूप में रह रहे है तथा वह अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वाहन कर रहे है। इसलिये उसके द्वारा आवेदन में अनुरोध किया गया है कि आपराधिक कार्यावाही जो कि शेशन विचारण सं0–2/2018 राज्य बनाम आकाश गुप्ता के रूप में विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 और एस0टी0 अधिनियम, देहरादून में लंबित है, रद की जा सकती है।

6. पक्षकारों द्वारा अपराध के शमन तथा सेशन विचारण को रद करने की चाही गयी प्रार्थना का सरकारी अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि भा0द0स0 की धारा–376 तथा 506 के अपराध जो कि आवेदक पर अधिरोपित है। शमनीय नहीं है तथा चूंकि यह गंभीर अपराध है, शमन हेतु की गयी प्रार्थना खारिज होने योग्य है।

7. सरकारी अधिवक्ता द्वारा अपराध की प्रकृति के प्रभाव, तथा क्या उक्त के शमन हेतु द0प्र0सं0 की धारा–320 का आहवाहन किया जा सकता है, के संबंध में सरकारी अधिवक्ता द्वारा लिए गए रुख पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। परन्तु विभिन्न निर्णयों से यह सुस्थापित है कि धारा–482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों तथा वरिष्ठ न्यायालयों की शक्तियां द0प्र0सं0 की धारा–320 के अन्तर्गत प्रावधान से आच्छादित तथा उन पर निर्भर नहीं है। क्योंकि धारा–482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रारंभ ही बिना बाधा के खण्ड के साथ होता है। जो आदेशिकाओं के दुरूपयोग को निवारित करने तथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उच्च न्यायालयों को अनन्य शक्ति

प्रदान करता है। न्यायालय सदैव अपराध के शमन की शक्ति का विस्तार कर सकता है। यहां तक की उनमें भी जो अन्यथा धारा–320 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत नहीं आते।

8. उक्ते संबंध में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये कि ऐसी परिस्थितियों में जहां, भा0द0सं0 की धारा– 376 के अन्तर्गत अपराध का अभियोग लगने के पश्चात्, यदि पक्षकार विवाह कर लेते है तथा वह प्रचलित कानून के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विवाह है तब धारा–376 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अपराध का भी शमन किया जा सकता है।

9. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मतभेद सुलझा लिए हैं, उन्होंने विवाह कर लिया है और पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, आवेदक को विचारण से गुजरने के लिए मजबूर करने से किसी फलदायी उदेश्य की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि यह एक व्यर्थ अभ्यास होगा, विशेष रूप से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को देखते हुए।सरकारी अधिवक्ता द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथा तर्क को सहमति दी जाती है तो उक्त का परिणाम ऐसे विचारण के लिये मजबूर करके आदेशिका का दुरुपयोग करना होगा जिसका सिवाय व्यर्थता के, पक्षकारों के समय और धन को शामिल करने अन्यथा कोई परिणाम नहीं होगा।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303** में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है

> "58. जहां उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद का निपटारा हो गया है, हालांकि अपराध शमनीय नहीं हैं, वह ऐसा करता है क्योंकि उसकी राय में, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना एक निरर्थक में एक अभ्यास होगा और मामले में न्याय की मांग है कि पक्षों के बीच विवाद को समाप्त कर दिया जाए और शांति बहाल की जाये। न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना अंतिम मार्गदर्शक कारक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध ऐसे कार्य हैं जो जनता पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और इसमें गलत कार्य निहित हैं, जो गंभीर रूप से समाज के कल्याण को खतरे में डालते हैं और अपराध करने वाले को केवल इसलिए छोड़ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसने और पीड़ित ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है या पीड़ित को प्रतिकर दिया गया है, फिर भी कुछ अपराधों को न्यायालय की अनुमति के साथ या उसके बिना कानून में शमनीय बना दिया गया है। हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे गंभीर अपराध या भारतीय दंड संहिता के तहत मानसिक भ्रष्टता के अन्य अपराधों या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत नैतिक अधमता के अपराधों या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं हो सकती है। तथापि, कुछ अपराध जो सिविल, व्यापारिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, साझेदारी या इस तरह के लेन–देन या विवाह से उत्पन्न होने वाले

अपराध, विशेष रूप से दहेज से संबंधित, आदि से उत्पन्न हुए हैं। या पारिवारिक विवाद, जहां गलती मूल रूप से पीड़ित के लिए है और अपराधी और पीड़ित ने उनके बीच सभी विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे अपराधों को शमनीय नहीं बनाया गया है, उच्च न्यायालय अपनी निहित शक्ति के ढांचे के भीतर आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक शिकायत या एफ0आई0आर0 को रद्द कर सकता है, यदि यह संतुष्ट है कि इस तरह के समझौते को देखने से अपराधी के दोषी ठहराए जाने की शायद ही कोई संभावना है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करने से न्याय हताहत होगा और न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।उपरोक्त सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है।प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा तथा कोई कठोर और त्वरित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है।

61. उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति सामने आती है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है अपनी अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा– 320 के अधीन अपराधों को शमन करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। निहित शक्ति व्यापक है और इसकी कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफ0आई0आर0 को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा किया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है।हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का यथोचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे जघन्य और गंभीर अपराध को उपयुक्त रूप से रद् नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किसी भी आधार का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक और प्रधान रूप से सिविल पक्ष वाले आपराधिक मामले निरस्त करने के उद्देश्य के लिये

अलग–अलग आधार पर खडे होते है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, सिविल, साझेदारी या ऐसे लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराधों से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और हानि का सामना करना पड़ेगा तथा पीडिता के साथ पूरा तथा पूर्ण समाधान करने के बाद भी आपराधिक मामले को समाप्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या पीड़ित और अपराधी के बीच सामाधान और समझौते के बावजूद, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की आदेशिका के दुरुपयोग के समान होगा तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह** के उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बी0एस0जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675** तथा **निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2008) 9 एससीसी 677** के निर्णयों में भी व्यवहार किया गया।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी0एस0 जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 675** में अभिनिर्धारित किया है किः

"6. पेप्सी फूड लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य। (1998) 5 अन्य सी. सी. 749), में इस न्यायालय ने भजन लाल के मामले के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया कि संहिता की धारा–482 के अधीन न्यायालय कहाँ अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, इसके बारे में उसमें निर्धारित दिशा–निर्देश कठोर नहीं हो सकते हैं या न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कठोर सूत्र निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को निवारित करना या न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। यह अच्छी तरह से निर्धारित है कि इन शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अवश्य ही जहां अधिक शक्ति है, ऐसी शक्तियों का आह्वान करते समय अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है।

8. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मधु लिमये का मामला ऐसे किसी सामान्य प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता है जिससे, आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद् करने की संहिता की धारा–482 में निहित या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति सिमित होती हो। इसलिए हमारा विचार है कि यदि न्यायालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्राथमिकी को रद्द करना आवश्यक हो जाता है, तो धारा 320 रद्द करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक बाधा नहीं होगी।हालाँकि, यह एक अलग मामला है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं।

10. कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य। (1977) 2 सी. सी. 699 में, धारा 482 के अधीन रद्द करने निहित शक्ति के दायरे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस पूर्ण शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय, कार्यवाहियों को रद्द करने का हकदार है यदि वह उस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, न्याय के उददेश्य की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है ।यह देखा गया कि एक आपराधिक मामले में, एक झूठे अभियोजन के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अभियोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय को उचित ठहराएगी और न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति, केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना था। इस न्यायालय ने कहा कि इन टिप्पणियों को करने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता यह है कि उस प्रावधान के उद्देश्य और प्रयोजन को उचित रूप से समझे बिना, जो राज्य और उसके विषयों के बीच न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों की वांछा करता है, उस मुख्य क्षेत्राधिकार की गहराई और रूपरेखा की सराहना करना असंभव होगा। तथ्यों के संबंध में, यह भी देखा गया कि अभियुक्त के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की कोई उचित संभावना नहीं थी। उस सम्बंधित सुनवाई का क्या होगा जहां पत्नी उस प्रकार की प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करती है। जैसा कि पहले देखा गया था, अब उन्होंने एक शपथ पत्र दायर किया है कि उसके कहने पर स्वभाव के मतभेदों और विवक्षित लांछन के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपों का समर्थन नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं। यह या तो इस कारण से हो सकता है कि उसने अपने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवादों का समाधान कर लिया है और इसके परिणामस्वरूप उसने फिर से अपने पति के साथ रहना शुरू कर दिया है, जिसके साथ उसके पहले मतभेद थे या उसने स्वेच्छा से उसका साथ छोड़

दिया है और खुशी से रह रही है। या पक्षकारों की सहमति से तलाक होने के कारण उनके विवाह का अन्त होने पर किसी अन्य से विवाह कर लिया है। या किसी अन्य समान आधार पर अभियोजन का समर्थन करने में विफल रही है। ऐसी स्थिति में, दोषसिद्धि की लगभग कोई संभावना नहीं होगी। क्या तब इस आधार पर रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करना उचित होगा कि यह पक्षों को गैर–शमनीय अपराधों को शमन करने की अनुमति देगा। जवाब स्पष्ट रूप से 'नकारात्मक' होना चाहिए। हालाँकि, यह एक अलग मामला होगा यदि उच्च न्यायालय तथ्यों पर सद्भावना की कमी सहित किसी भी वैध कारणों से रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है।

11. माधवराव जिवाजीराव सिंधिया व अन्य बनाम संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे और अन्य। (1988) 1 अन्य सी. सी. 692), में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 482 के अधीन निरसित करने निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह उच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह किसी विशेष मामले में प्रकट होने वाली किसी विशेष, विशेषता पर विचार करे कि क्या अभियोजन जारी रखने की अनुज्ञा देना समीचीन और न्याय के हित में है।जहां, न्यायालय की राय में, अंतिम दोषसिद्धि की संभावना धूमिल है और इसलिए, आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है, किसी मामले के विशेष तथ्यों पर विचार कर, कार्यवाही को भी रद्द कर सकता है।

15. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द कर सकता है और संहिता की धारा 320,संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करती है।"

13. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **निखिल मर्चेंट (उपर्युक्त)** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः–

"7. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से की गई पूर्वोक्त दलीलों के समर्थन में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1996) 5 एस. सी. सी. 591 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का निर्देश किया गया था, जिसमें इस मामले के तथ्यों के समान तथ्यों के आधार पर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि भले ही धोखाधड़ी का अपराध प्रथमदृष्टया बनाया गया हो, ऐसा अपराध एक शमनीय अपराध है और बैंक द्वारा किये गये वादों में पारित समझौता डिक्री, सभी आशय और उद्देश्यों के लिए, धोखाधड़ी के अपराध के शमन के समान है। इस न्यायालय ने तदनुसार, पक्षों के बीच दीवानी कार्रवाई से समझौता किए जाने के बाद आपराधिक शिकायत को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

8. उक्त निर्णय के अलावा, इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय, बी0एस0जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एस. सी. सी. 675 पर भी निर्भरता रखी गई थी।, जिसमें वैवाहिक विवादों और अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा– 498 क और 406 के अधीन कार्यवाहियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के उपबंध ऐसे अपराधों पर लागू नहीं होंगे, जो शमनीय नहीं हैं, यह धारा 482 के अधीन शक्तियों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 136 के अधीन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करता है। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त मामले में इंगित की गई श्रेणियां जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग का अधिकार देती हैं, वे केवल उदाहरणात्मक थीं और संपूर्ण नहीं थीं।इस न्यायालय ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित या प्रभावित नहीं करती है।

9. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों के आलोक में उक्त निर्णय पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया कि डंकन्स एग्रो मामले में यह न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 420 से जुड़ी स्थिति पर विचार कर रहा था। जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (2) के तहत शमनीय था, जबकि तत्काल मामले में, आरोप पत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के साथ भा.दं.सं. की खंड 467, 468, 471–ए के तहत भी था, जो गैर–शमनीय थे।इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त दो मामलों में से कोई भी इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और आपराधिक मामलों से उन्मोचन के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को खारिज कर दिया।"

14. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **सीआरएम–एम–31825–2017 में 19.01.2018** में, **दीपक बनाम हरियाणा राज्य व अन्य** में दिये गये निर्णय पर भी निर्भर किया गया है जिसमें, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा ने **नरींदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और 2014 (6) एससीसी** में पारित निर्णय से अधिकार प्राप्त करते हुये, इस तथ्य पर विचार करने पर कि आवेदक ने विवाह कर लिया है, भा0द0सं0 की धारा 376 (1) (ए), 452 और 506 साथ ही यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अपराधों की कार्यावाही रोक दी।

466 निर्णय का पैरा 4,5,6,7,8 और 9 इस प्रकार हैः–

"4. सामान्य परिस्थितियों में, यह न्यायालय ऐसे मामले पर विचार नहीं करेगा जब समझौता योग्य अपराध जघन्य और गंभीर प्रकृति के हो। हस्तगत मामले में, शिकायत किए गए अपराध में भा.दं.सं. की खंड 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध शामिल है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि बार–बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत अपराध एक गंभीर अपराध है और इसे बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।कानून की दृष्टि में, बलात्कार का अपराध गंभीर और गैर–शमनीय है और अदालतों को सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द नहीं करना चाहिए।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नरीन्दर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले, 2014 (6) एस. सी. सी. 466 में दिए गए निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांतों और दिशा–निर्देशों को निर्धारित किया है जिन्हें गैर–शमनीय अपराध से संबंधित प्राथमिकियों को रद्द करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। संदर्भ हेतु पैराग्राफ नं. 29.2 और 29.5 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"29.2.जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक यह सुनिश्चित करना होगाः कि

(i) न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति हो

(ii) किसी भी न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए। शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर राय बनानी होती है। 29.5. अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त को बड़े उत्पीड़न और हानि का सामना करना पड़ेगा और आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

6. यहां तक कि **मदन मोहन एबोट बनाम पंजाब राज्य 2008 (4) एस. सी. सी. 582** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सलाह दी जाती है कि उन विवादों में जहां प्रश्न विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का है, न्यायालय को आपराधिक कार्यवाहियों में भी आम तौर पर समझौते की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे

पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"5. इस समझौते के आधार पर, कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया गया था, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।प्राथमिकी आर. और अभिलेख पर 5 में से 3 दस्तावेजों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि विवाद विशुद्ध आत्यन्तिक रूप दो प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच व्यक्तिगत था और यह उनके बीच व्यापक व्यावसायिक लेन–देन से उत्पन्न हुआ था और यह कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति में कोई सार्वजनिक नीति निहित नहीं थी।इसलिए हमारी राय है कि समझौते के आलोक में और इस तथ्य के प्रकाश में कि शिकायतकर्ता का 11 जनवरी, 2004 को निधन हो गया है, कार्यवाही जारी रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इस प्रकार दोषसिद्धि दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार किया जाना चाहिए।

6. हमे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि संभवतः यह सलाह दी जाती है कि उन विवादों मे जहां प्रश्न विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का है, न्यायालय को आपराधिक कार्यवाहियों भी समझौते की शर्तों को सामान्य रूप से प्रतिग्रहण करना करना चाहिए क्योंकि मामले को अभियोजन पक्ष के, पक्ष में परिणाम की कोई संभावना के बिना जीवित रखना एक विलासिता है जिसे न्यायालय, जो कि बहुत अधिक बोझ से ग्रस्त हैं, वहन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार बचाए गए समय का उपयोग अधिक प्रभावी और सार्थक मुकदमेबाजी का निर्णय लेने में किया जा सकता है।यह वास्तविकताओं के आधार पर और कानून की तकनीकीयों से रहित मामले के लिए एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण है।

7. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य. 2012 (10) एस. सी. सी. 303 में दिए गए निर्णय में प्रतिपादित कानून का मूल सिद्धांत यह है कि जहां समझौता योग्य अपराध से निजी प्रकृति के हैं और सार्वजनिक नीति से संबंधित नहीं हैं, वहां समझौते के आधार पर गैर–शमनीय अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

8. इसलिए, उपरोक्त निर्णयों के अनुपात पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि समझौते के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की खंड 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध को रद्द करने के लिए किया गया समझौता स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसा कि नरिंदर सिंह एंड अन्य 5 में से 4 द्वारा निर्धारित किया गया है, उन मामलों में जहां अपराध के कथित किए जाने के तुरंत बाद कोई समझौता अभिकथित है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदार हो सकता है।इसके अलावा, याचिका में एक विशिष्ट याचिका है कि सम्बंधित प्राथमिकी के तहत कार्यवाही जारी रखने से

भविष्य में अभियोजिका के समझौते में बाधा आएगी।

9. परिणाम स्वरूप मौजूदा मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कानून के उपरोक्त अनुपातों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और पुलिस स्टेशन हांसी सदर, जिला हिसार में अन्तर्गत धारा 376 (1) ए, 452 और 506 भा0द0सं0 और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 461 दिनांक 11.12. 2015, और उस से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही यहां याचिकाकर्ताके संबंध में रद्द की जाती है।

15. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायालयों को प्रदान की गई शक्तियों के अनुपात और विस्तार पर भी विचार किया है, क्योंकि **मदन मोहन ऐबट बनाम पंजाब राज्य के मामले में 2008 (4) एस. सी. सी. 582** में यह स्थापित है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब पक्षकार समझौते के आधार पर अपने विवादों का निपटारा कर लेते हैं तो उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है और जब प्रत्येक मामले की उक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखना व्यर्थ का कार्य होगा जिससे कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकलेगा।

16. धीरज कुमार उर्फ कन्नू बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य 2015 एससीसी के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ का एक और निर्णय है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं 8,9,10 और 11 निम्नानुसार हैः–

8) (लज्जा देवी) बनाम राज्य, 2012 (4) आरसीआर (सिविल) 821 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर विवाद पर विस्तार से विचार किया और आदेश पारित किया जिससे दंपति के बीच वैवाहिक संबंध की रक्षा की गई। इस न्यायालय ने योगेश हांडा बनाम पंजाब राज्य, 2013 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक) 472 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया।

9) यदि यह 376 का मामला वैवाहिक संबंध से उत्पन्न नहीं होता तो यह न्यायालय हस्तक्षेप करने और इस मुद्दे पर किसी भी समझौते पर भरोसा करने के लिए अनिच्छुक होता, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच प्रेम संबंध के निर्वाह के दौरान, बलात्कार के आरोप सामने आए हैं, जब प्रतिवादी संख्या 2 अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल और अभिरक्षा में थी, और बाद में उन्होंने खुद को विवाह की गाँठ में बांध लिया है और खुशी से रह रहे हैं।

10) इस न्यायालय का यह मत है कि मामले के विचारण का परिणाम शून्य हो जाएगा और आपराधिक कार्यवाहियों के जारी रहने से प्रतिवादी संख्या 2 के साथ याचिकाकर्ता के वैवाहिक संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मामला प्रारंभिक

चरण में है।

11) तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की आदेशिका का दुरुपयोग होगा। यदि पुलिस स्टेशन सिटी सुनाम, जिला संगरूर में भा.दं.सं. की खंड 376 के तहत दर्ज, प्राथमिकी आर. नं. 168, दिनांक 25.09.2014, को उसके अनुसरण में हुयी समस्त कार्यावाही के साथ अभिखंडित कर दिया जाता है, तो न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

17. तत्काल मामले में भी यही स्थिति है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफ0आई0आर0 को दर्ज करने के बाद, और कार्यवाही विचाराधीन होने के दौरान, पक्षों ने शादी कर ली है और अब वे एक साथ रह रहे हैं और शिकायतकर्ता, उसके पिता, द्वारा दाखिल शपथपत्रों के अनुसार, वह आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। पक्षकारों को मुकदमे से गुजरने के लिए मजबूर करना आत्यन्तिक रूप व्यर्थ की कवायद होगी।

18. इसलिए, **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** के साथ–साथ **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा निर्धारित अनुपात पर विचार करते हुए, मौजूदा सी–482 आवेदन को स्वीकार किया जाता है। सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0और एस0टी0 अधिनियम देहरादून के समक्ष लंबित विशेष सत्र परीक्षण सं0–02/ 2018 राज्य बनाम आकाश गुप्ता, अन्तर्गत धारा 376 और 506 तथा धारा 3(2) (V) और 3(1) (S)एस0सी0और एस0टी0 अधिनियम को रद्द किया जाता है। शमन आवेदन का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे।)
27.10.2018